IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में सहकारी आन्दोलन के अन्तर्गत सहकारी चीनी मिलों का दशा एवं दिशा।

डॉ0 मुकेश कुमार ठाकुर
ग्राम+पोस्ट– कोठरा
भाया– बहेड़ी
थाना– हायाघाट
जिला– दरभंगा। 847105

प्रस्तावनाः– भारत में सकहारी विधायन इकाई सर्वप्रथम सन् 1933 में स्थापित की गई जबकि सूरत जिले में एक सहकारी जिनिंग तथा प्रेसिंग इकाई स्थापित की गई थी। किन्तु देश में सहकारी विधायन के क्षेत्र में संगठित प्रयास द्वितीय योजना से प्रारम्भ किये गये। द्वितीय योजना में 484 विधायन समितियाँ गठित की गई, जबकि तृतीय योजना में 1,021 सहकारी विधायन समितियों का गठन किया गया। चौथी योजनाकी समाप्ति पर देश में कुल 1,856 सहकारी विधायन समितियाँ कार्यरत थीं। सन् 1,981–82 तक सहकारी क्षेत्र में 2,399 विधायन इकाइयों का गठन किया गया। लगभग 1,519 विधायन इकाइयाँ सहकारी विपणन समितियों से संलग्न थीं। 31 मार्च, सन् 1989 को देश में 2,422 सहकारी कृषि विधायन इकाइयाँ कार्यरत थीं।

भारत में सहकारी विधायन इकाइयों की सथापना अग्र दो आधारों पर की गई है–

(1) **स्वतन्त्र विधायन इकाइयाँ–** वृहत् तथा मध्यम आकार की इकाइयों की स्थापना के लिये बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण ऐसी इकाइयों के लिये पृथक् सहकारी विधायन समिति का गठन किया जाता है। चीनी के कारखाने, वीविंग एण्ड स्पिनिंग मिल आदि इनके उदाहरण हैं।

(2) **विपणन समितियों से सम्बन्ध–** सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाली सहकारी विपणन समितियाँ छोटे आकार की विधायन इकाइयों का गठन कर लेती हें, जैसे दाल मिल, धान मिल, तेल मिल, सूत मिल इत्यादि।

नीचे हमने सहकारी चीनी मिलों तथा सहकारी कताई मिलों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है–

सहकारी चीनी मिलें– चीनी उद्योग में सहकारी गतिविधियों का प्रारम्भ सन् 1933 में हुआ तथा 1933–35 अवधि में देश में 4 सहकारी चीनी– कारखानों स्थापित किये गये। चीनी उद्योग में सहकारी प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका 1950–51 से प्रारम्भ हुई, जबकि महाराष्ट्र के परिवान नगर के क्षेत्र में गन्ना उत्पादकों ने एक सहकारी चीनी कारखाना सथापित किया। इस कारखाने द्वारा निरन्तर प्राप्त सफलता से प्रेरित होकर

भारत सरकार ने चीनी मिलों को लाइसैंसे देने के मामले में सकारी समितियों को प्राथमिकता देने का निश्चय किया।

सन् 1950–51 में केवल 2 सहकारी चीनी मिले थीं, जिनकी संख्या 1973–74 के अन्त में बढ़कर 155 हो गई थी। सन् 1981–82 के अन्त में देश में 154सहकारी चीनी कारखाने थे, जिन्होंने 45.58 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जो कि देश के कुल चीनी उत्पादन का 56 प्रतिशत था। सन् 1985–86 में 1993 सहकारी चीनी मिले उत्पादन कर रही थीं तथा उन्होंने 41.40 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जो देश के कुल चीनी उत्पादन का 59.1 प्रतिशत था।[1]

31 मार्च, 1993 को देश में 224 सहकारी चीनी कारखाने थे जिनके 24 लाख उत्पादक–सदस्य थे। अकेले महाराष्ट्र में 41 प्रतिशत सहकारी चीनी कारखाने थे। सन् 1992–93 में सहकारी कारखानों ने 78 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जो देश के कुल चीनी उत्पदान का 58.5 प्रतिशत था।

सहकारी कताई मिले– इनकी स्थापना कपास उत्पादकों तथा बुनकरों ने की है। इस क्षेत्र में सहकारी विधायन का प्रारम्भ मैसूर में एक सहकारी समिति की सथापना से हुआ। तत्पश्चात् गुजरात में अनेक समितियाँ गुजरात में ही केन्द्रित रहीं। अन्य राज्यों में सहकारी क्षेत्र में 166 कताई कारखाने संगठित किये गये तथा 63 प्रतिसथापित किये गये जिनमें उत्पादकों द्वारा तथा 37 बुनकरों द्वारा स्थापित किये गये।

सन् 1983–84 में कुल 73 सहकारी कताई मिले काम कर रही थीं, 32 मिले उत्पादकों की तथा 41 बुनकरों की थीं। 1983–84 में सहकारी क्षेत्र में 17.82 तकुए स्थापित थे। सन् 1985–86 में सहकारी क्षेत्र में 92 मिलें काम कर रही थीं तकुओं की संख्या 23.08 लाख थी।

31 मार्च, 1992 को देश में 113 सहकारी कताई मिलें काम कर रही थीं जिनमें 58 उत्पादक क्षेत्र में तााि 65 बुनकर क्षेत्र में थीं। इन मिलों में लगभग 31.3 लाख तकुये लगे थे। इन कारखानों की हिससा पूँजी 368 करोड़ रू0 थी तथा इनके रक्षित कोष 128 करोड़ रू0 के थे। सहकारी कताई मिलों ने सन् 1964 में अपने एक राष्ट्रीय परिसंघ का गठन कर लिया था।

इतिहास– चीनी उद्योग में सहकारी प्रयासों का प्रारम्भ सन् 1933 में हुआ तथा 1933–35 की अवधि में देश में 4 सहकारी कारखाने स्थापित किये गये। 3 कारखानों की स्थापना आन्ध्र प्रदेश में की गई, जबकि एक कारखाना उत्तर प्रदेश के ऐटीकोप्पाका नामक स्थान पर स्थापित है, शेष तीनों कारखाने बन्द हो चुके हैं।

चीनी उद्योग में सहकारी प्रयासों की महत्पूर्ण भूमिका 1950–51 से प्रारम्भ हुई जबकि महाराष्ट्र के परिवार नगर के क्षेत्रीय गन्ना उत्पादकों ने एक सहाकरी चीनी कारखाना स्थापित किया। इस कारखाने ने निरन्तर सफलता प्राप्त की जिससे प्रेरित होकर भारत सरकार ने चीनी मिलों को लाइसैंस देने के मामले में

सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने का निश्चय किया। तभी से सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखाने खोलने के लिये निरनतर लाइसैंस प्रदान किये गये हैं। सन् 1950–51 में देश में केवल 2 सहकारी चीनी कारखाने थे, जिनकी संखया 1973–74 के अन्त में बढ़कर 155 हो गई थी।[2]

वर्तमान स्थिति– सन् 1981–82 में काम कर रही कुल 320 चीनी मिलों में से 154 मिलें सहकारी क्षेत्र में थीं। 31 मार्च, 1990 को 283 सहकारी चीनी कारखाने पंजीकृत थे, जिनमें 215 कारखाने स्थापित किये जा चुके थे। सितम्बर 1990 में 211 सहकारी कारखाने उत्पादन कर रहे थे निहोंने सन् 1889–90 में 66 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जो देश के कुल चीनी उत्पादन का 60 प्रतिशत था। सहकारी चीनी कारखाने राष्ट्रीय चीनी संघ तथा 8 प्रान्तीय चीनी संघों के अधीन कार्य कर रहे हैं।

सहकारी चीनी मिलों की विशेषतायें:–

भारत में सहकारी चीनी मिलों की प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार हैं–

(1) **सदस्यता–** भारत में सहकारी चीनी कारखानों की सदस्यता मुख्यतः इनहें प्रदान की जाती है– गन्ना उत्पादक, तथा प्राथमिक कृषि साख समितियाँ।

(2) **वित्तीय श्रोत–** सहकारी चीनी कारखाने कुख्यतः निम्न स्रोतों से धन राशि जुटाते हैं–

(1) अंश पूँजी– गन्ना उत्पादक, कृषि साख समितियाँ तथा राज्य सरकारें सहकारी चीनी मिलों के अंध खरीदती रहती हैं।

(2) वित्ती संस्थाओं से ऋण–ये कारखाने औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास निगम, जीवन बीमा निगम शीर्ष सहकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, राज्य सरकारें आदि से अपनी कार्यशील पूँजी में वृद्धि के लिए ऋण लेते रहते हैं।

(3) विभिन्न कोष– सहकारी चीनी कारखाने पूँजी में वृद्धि करने के लिये अपने उपनियमें के अनुसार विभिन्न प्रकार के कोषों का निर्माण करते हैं।

(4) सरकारी सहायता– राज्य सरकारें तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी चीनी मिलों को सहायतता प्रदान करते हैं।

(5) प्रबन्ध–अन्य सहाकरी समितियों की भाँति सहकारी चीनी कारखानों के प्रबन्ध को दो भागों में विभक्त किया गया है–

साधारण सभा–सहकारी चीनी मिल के सभी प्रतिनिधि–सदस्य इसके सदस्य होते हें, संचालक मण्डल–इसका गठन निम्न प्रकार होता है–

(क) जिन सहकारी चीनी मिलों की अंश पूँजी में राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं होता तथा न ही राज्य सरकार द्वारा कोई ऋण प्रदान किया गया होता है, उनके संचालक मण्डल का गठन लोकतन्त्रीय आधार पर किया जाता है तााि संचालक मण्डल के सदस्य केवल साधारण सभा के सदस्य हो सकते हैं।

(ख) जिन सहकारी चीनी मिलों की अंश पूँजी में राज्य सरकार ने अपना योग प्रदान किया होता है या ऋणों की वापसी की गारन्टी प्रदान की होती है, उनके संचालक मण्डल में राज्य सरकार द्वारा भी संचालक मनोनति किये जाते हैं।

राज्य स्तर पर सहकारी चीनी कारखानों के संघः–

भारत के 8 राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब व हरियाणा) में सहकारी चीनी कारखानों के संघो की स्थापना की गई है, जिनके प्रमुध काय्र तथा उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(1) सम्बन्धित राजय के सहकारी चीनी कारखानों पर नियन्त्रण रखने के साथ–साथ उनका मार्गदर्शन करना तथा उनमें समन्वय सथापित करना।

(2) मशीन तथा अन्य सामग्री के क्रय में सदस्य–कारखानों को सहायता प्रदान करना।

(3) सदस्य–कारखानों की वित्तीय तथा अन्य समस्याओं का समाधान करनौ

(4) सदस्य–कारखानों की चीनी का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिये चीनी को अन्य राज्यों में बेचने की सुविधा प्रदान करना।

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखान संघः–

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ की स्थापना दिसम्बर 1960 में की गई थी। इस संघ के प्रमुख कार्य तथा उद्देश्य निम्न हैं–

(1) देश की सभी सहकारी चीनी मिलों पर नियन्त्रण रखना, उनका मार्ग–दर्शन करना उनमें सम्न्वय स्थापित करना।

(2) सदस्य–कारखानों द्वारा मशीन तथा अन्य सामग्री के क्रय में उनकी सहायता करना तथा उन्हें तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

(3) सदस्य–कारखानों के लिये केन्द्रीय व राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा वित्तीय सहायता दिलाने में सहायता करना।

(4) सदस्य–कारखानों को चीनी का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिये चीनी को अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की सूविधा प्रदान करना।

(5) सहकारी चीनी कारखानों का समय–समय पर अधिवेशन बुलाना जिसमें चीनी कारखानों की समस्याओं विचार करना।

जो सहकारी संस्था अपने सदस्यों के केवल किसी एक उद्देश्य की पूर्ति करती है, वह एकधन्धीया एक–उद्देश्य सहकारी समिति कहलाती है। कुछ समय पूर्व तक भारत में सहकारी साख समितियाँ एकधन्धी समितियाँ होती थीं।

संदर्भ सूचीः–

1ण वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, नई दिल्ली, 2003.

2ण वार्षिक प्रतिवेदन इन्टरनेशनल को–ऑपरेटिव एलायंस, नई दिल्ली, 2005.

3ण वीणा मजूमदार, द शोसल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया फ्राम रानाडे टू नेहरू।

4ण महादेव गोविन्द रानाडे, कॉपरेटिव एवं शोसल रिफ्रॉर्म्स, बम्बई, 1902.

5ण घनश्याम साह, कॉपरेटिव प्रोटेस्ट मूवमेंट इन इंडिया स्टेप्स : ए स्टडी ऑफ गुजरात एण्ड बिहार मूवमेंट, दिल्ली, 1977.